

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 995 सन 2020

अनवान :-

1. मदनलाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. हनुमान पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
3. विनोद पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र हरुराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
2. सावरसिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
3. बिरमा पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
4. सन्तोष देवी पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
5. रामनिवास पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
6. कृष्णा पुत्री हुकमाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
7. चन्द्रकला पुत्री हुकमाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
8. सुनितादेवी पुत्री हुकमाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
9. शिशपाल पुत्री हरुराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
10. कन्हैयालाल पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
11. सिलोचना पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
12. सुन्दर पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
13. गिरदावरी पुत्री हरुराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
14. चन्द्रावली पुत्री हरुराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
15. गायत्री पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
16. मंजु पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
17. सुनिता पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
18. पूर्णराम पुत्र सुरस्वती पुत्री हरुराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
19. सुलक्षणा देवी पुत्री सरस्वती पुत्री हरुराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
20. सुरेश कुमार पुत्र कलावती पुत्री हरुराम पि. हसंराज जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
21. बुधराम पुत्र कलावती पुत्री हरुराम पि0 हसंराज जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
22. सरोज पुत्री कलावती पुत्री हरुराम पि0 हसराज जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर ।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 17/02/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 139/127 की कुल 28.2860हैक् भूमि वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,9 ,15 ता 17 एवं मृतक रूकमा पत्नी हुकमाराम एवं रेशमी पत्नी हरुराम के नाम से दर्ज है ।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज हरुराम पुत्र मंगलाराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त होने पर हरुराम पुत्र मंगलाराम के नाम से दर्ज भूमि उसके वारिसान उसकी पत्नी /पुत्र/पुत्रीयों के नाम से दर्ज हुई हरुराम पुत्र मंगलाराम की पत्नी रेशमी पत्नी हरुराम का भी देहान्त हो चुका है एवं हरुराम के पुत्र हुकमाराम , नोरगलाल ख पुत्र पुत्री चन्द्रकला ,



कलावती का देहान्त हो चुका है इसप्रकार हरुराम , व उसके वारिसान रेशमी , हुक्माराम नोरगलाल, चन्द्रकला व कलावती के देहान्त होने पर जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण है जो अपने हक हिस्सा की अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि मृतक रेशमा पत्नी हरुराम एवं हरुराम के पुत्र हुक्माराम की पत्नी रूकमा एवं उसके पुत्र वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,9 तथा मृतक पुत्र नोरगलाल के वारिसान के नाम से दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादी संख्या 1 की बहन प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग कर दिया हे इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 6ता 8 जो वादी संख्या 2 की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 11 ,12 जो वादी संख्या 3 की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 13 ,14 , जो वादी संख्या 2 की बहन एवं हरुराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 18 ता 23 वादी की बहन एवं हरुराम की पुत्री के वारिसान है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 ,9 ,10 ,15 ता 17 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2,5 ,9,10,15 ता 17 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,9 ,15 ता 17 , मृतक रेशमी व रूकमा के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,9 ,15 ता 17 बहिब के खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,9 ,15 ता 17 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हरुराम वल्द मंगलाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है अब उनकी माता रेशमी व व हुक्माराम की पत्नी रूकमा का देहान्त हो चुका है अर्थात हरुराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ,6 ता 8 ,11 ता 13 ,18 ता 22 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,9 ,10 ,15 ता 17 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,9 ,15 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 ,5 ,9 ,15 ता 17 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 23 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 139/127 की कुल 28.

2860 हैक भूमि वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,9 ,15 ता 17 एवं मृतक रूकमा पत्नी हुकमाराम एवं रेशमी पत्नी हरुराम के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज हरुराम पुत्र मंगलाराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त होने पर हरुराम पुत्र मंगलाराम के नाम से दर्ज भूमि उसके वारिसान उसकी पत्नी /पुत्र/पुत्रीयों के नाम से दर्ज हुई हरुराम पुत्र मंगलाराम की पत्नी रेशमी पत्नी हरुराम का भी देहान्त हो चुका है एवं हरुराम के पुत्र हुक्माराम , नोरगलाल रू पुत्र पुत्री चन्द्रकला , कलावती का देहान्त हो चुका है इसप्रकार हरुराम , व उसके वारिसान रेशमी , हुक्माराम नोरगलाल, चन्द्रकला व कलावती के देहान्त होने पर जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण है जो अपने हक हिस्सा की अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि मृतक रेशमा पत्नी हरुराम एवं हरुराम के पुत्र हुक्माराम की पत्नी रूकमा एवं उसके पुत्र वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,9 तथा मृतक पुत्र नोरगलाल के वारिसान के नाम से दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादी संख्या 1 की बहन प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग कर दिया हे इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 6ता 8 जो वादी संख्या 2 की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 11 ,12 जो वादी संख्या 3 की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 13 ,14 , जो वादी संख्या 2 की बहन एवं हरुराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 18 ता 23 वादी की बहन एवं हरुराम की पुत्री के वारिसान है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 ,9 ,10 ,15 ता 17 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2,5 ,9,10,15 ता 17 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 139/127 की कुल 28.2860 हैक भूमि वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,9 ,15 ता 17 एवं मृतक रूकमा पत्नी हुकमाराम एवं रेशमी पत्नी हरुराम के नाम से दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज हरुराम पुत्र मंगलाराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त होने पर हरुराम पुत्र मंगलाराम के नाम से दर्ज भूमि उसके वारिसान उसकी पत्नी /पुत्र/पुत्रीयों के नाम से दर्ज हुई हरुराम पुत्र मंगलाराम की पत्नी रेशमी पत्नी हरुराम का भी देहान्त हो चुका है एवं हरुराम के पुत्र हुक्माराम , नोरगलाल रू पुत्र पुत्री चन्द्रकला , कलावती का देहान्त हो चुका है इसप्रकार हरुराम , व उसके वारिसान रेशमी , हुक्माराम नोरगलाल, चन्द्रकला व कलावती के देहान्त होने पर जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण है जो अपने हक हिस्सा की अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

28

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि मृतक रेशमा पत्नी हरुराम एवं हरुराम के पुत्र हुक्माराम की पत्नी रूकमा एवं उसके पुत्र वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5, 9 तथा मृतक पुत्र नोरगलाल के वारिसान के नाम से दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6 ता 8, 11 ता 13, 18 ता 22 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5, 9, 10, 15 ता 17 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5, 9, 15 ता 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 9, 15 ता 17 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6 ता 8, 11 ता 13, 18 ता 22 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 139/127 की कुल 28.2860 हैक् भूमि वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1, 5, 9, 15 ता 17 एवं मृतक रूकमा पत्नी हुक्माराम एवं रेशमी पत्नी हरुराम के नाम से दर्ज है में से मृतक रूकमा पत्नी हुक्माराम एवं रेशमी पत्नी हरुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 9, 10 तीनों बहिब 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 तीनों बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मदनलाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. हनुमान पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
3. विनोद पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र हरुराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।
2. सावरसिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
3. बिरमा पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
4. सन्तोष देवी पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
5. रामनिवास पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
6. कृष्णा पुत्री हुकमाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
7. चन्द्रकला पुत्री हुकमाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
8. सुनितादेवी पुत्री हुकमाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
9. शिशपाल पुत्री हरुराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
10. कन्हैयालाल पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
11. सिलोचना पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
12. सुन्दर पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
13. गिरदावरी पुत्री हरुराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
14. चन्द्रावली पुत्री हरुराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
15. गायत्री पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
16. मंजु पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
17. सुनिता पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
18. पूर्णराम पुत्र सुरस्वती पुत्री हरुराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर
19. सुलक्षणा देवी पुत्री सरस्वती पुत्री हरुराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
20. सुरेश कुमार पुत्र कलावती पुत्री हरुराम पि. हसंराज जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
21. बुधराम पुत्र कलावती पुत्री हरुराम पि० हसंराज जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
22. सरोज पुत्री कलावती पुत्री हरुराम पि० हसंराज जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर ।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 995 सन 2020 निर्णय दिनांक- 17/02/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 139/127 की कुल 28.2860 हैक् भूमि वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1, 5, 9, 15 ता 17 एवं मृतक रूकमा पत्नी हुकमाराम एवं रेशमी पत्नी हरुराम के नाम से दर्ज है में से मृतक रूकमा पत्नी हुकमाराम एवं रेशमी पत्नी हरुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 9, 10 तीनों बहिब 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 तीनों बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )